ओ३म्

तमसो मा ज्योतिर्गमय

आर्यसमाज राजेन्द्र नगर

नई दिल्ली–110060

का

संविधान

अगस्त 1956

संसोधन – 2013

संसोधन – 15 सितम्बर 2024

प्रकाशक

मन्त्री आर्य समाज, राजेन्द्र नगर

ओ३म्

दो शब्द

आर्य समाज राजेन्द्र नगर की स्थापना सन् 1948 ई. में हुई। पहले कुछ काल तक इसके सत्संग सभासदों के घरों में लगते रहे परन्तु बाद में सलवान स्कूल में। जब सन् 51–52 में आर्य समाज के लिए भूमि खरीदने का प्रयत्न हो रहा था तब यह प्रश्न उठा कि इस समाज का सम्बन्ध कालेज–विभाग से होगा या गुरुकुल–विभाग से। बहुत सोच–विचार के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि इस समाज का प्रेम और सहयोग तो आर्य समाज के दोनों विभागों से समान हो परन्तु इसे स्थापित किया जाय एक स्वतंत्र आर्य समाज के रूप में। इस निश्चय के तीन कारण थे –

1. पाकिस्तान में हम में से कुछ भाइयों का सम्बन्ध एक विभाग से था तो कुछ का दूसरे से ।

2. हम पाकिस्तान से लुट–पिट कर आये थे और परस्पर मेल को अलग–अलग रहने से उत्तम समझते थे।

3. सरकार की ओर से आर्य समाज के लिए भूमि का एक ही टुकड़ा मिल सकता था।

उपर्युक्त निश्चय को कार्य–रूप देने के लिए आवश्यक था कि इस समाज का स्वतन्त्र संविधान बनाया जाय और इसे एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में रजिस्टर्ड कराया जाय। इस महत्वपूर्ण कार्य का भार तत्कालीन अन्तरंग–सभा के कन्धों पर पड़ा। कुछ मास के पश्चात् संविधान तैयार हो गया और इस स्वतंत्र समाज की नियमपूर्वक रजिस्ट्री करा ली गई। इस समाज के संविधान और इसके मूल में स्थित पार्टी–बाजी के ऊपर उठने की भावना को देखकर दिल्ली के

कई अन्य आर्य समाजों ने भी हमारे समाज के समान निष्पक्ष और स्वतंत्र रहने का शुभ निश्चय किया। प्रभु करे कि आर्य समाज राजेन्द्र नगर के सभी सभासद् दलबंदी और पक्षपात की भावना से सदा ऊपर रह कर निःस्वार्थ भाव से वेद.प्रचार में लीन रहें और आर्य समाज के दोनों विभागों के एकीकरण का जो बीज हमने बोया है वह समय पाकर फूले–फले।

इसी उद्देश्य से इस समाज का प्रस्तुत संविधान आपकी सेवा में भेंट किया जा रहा है। आशा है आप इसका गम्भीरता–पूर्वक मनन करेंगे, और समाज की उन्नति के लिए जो–जो बातें आपको सूझेंगी उन्हें दृष्टि में रखते हुए समय–समय पर इसमें उचित संशोधन करने–कराने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

अशोक सहगल
प्रधान

आर्य समाज, राजेन्द्र नगर

नई दिल्ली–60

उपनियम

1. इस समाज का नाम आर्य समाज, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली होगा।

2. लक्ष्य और उद्देश्य

इस समाज के लक्ष्य और उद्देश्य वही हैं जिनका वर्णन इसके संघटन के ज्ञापन में किया गया है।

3. आर्य

जो व्यक्ति आर्य समाज में अपना नाम लिखवाना चाहे और इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार आचरण स्वीकार करे वह आर्य समाज में प्रविष्ट हो सकता है परन्तु उसकी अवस्था अठारह वर्ष से कम न होनी चाहिये। जो व्यक्ति इस प्रकार आर्य समाज में प्रविष्ट होगा वह आर्य कहलायेगा। परन्तु कोई व्यक्ति एक समय में एक ही समाज का सदस्य हो सकता है।

3. (अ) आर्य सभासद्

(क) वह व्यक्ति जिसका नाम किसी आर्य समाज में सदाचारपूर्वक एक वर्ष तक अंकित रहा हो और जो उस समाज को अपनी आय का एक प्रतिशत मासिक या वार्षिक अथवा अपनी आर्थिक अवस्था के अनुसार देता रहा हो और साप्ताहिक सत्संगो में जिसकी उपस्थिति 25 प्रतिशत से कम न हो, वह आर्य सभासद् बन सकता है। और तभी उसी को वोटिंग का अधिकार दिया जा सकता है।

(ख) उपधारा (क) में प्रयुक्त सदाचार की परिभाषा इस प्रकार हैः–

संध्या आदि नित्य कर्म, शुद्ध वृत्ति, वैदिक संस्कार, पतिव्रत तथा पत्नीव्रत आदि सदाचार हैं। व्यभिचार, मद्यादि मादक द्रव्यों और मांसादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, जूआ, चोरी, छल, कपट, रिश्वत आदि दुराचार हैं।

(ग) सम्मति देने का अधिकार केवल आर्य सभासदों को होगा।

(घ) आर्य समाज की सदस्यता लेने के लिए पहले प्रार्थना पत्र प्रधान जी व मंत्री जी को दिया जाऐगा। उसके बाद अन्तरंग सभा निर्णय लेगी प्रथम वर्ष सक्रिय सदस्य उसके बाद प्रधान जी की अनुमति से अन्तरंग सभा में दूसरे वर्ष समापन के बाद वोटिंग का अधिकार दिया जायेगा।

(ङ) स्त्रियों को आर्य सभासद् बनने के लिए, यदि उनकी आय अपने पति या संरक्षक से पृथक् न हो तो संरक्षक की आय के शतांश का ¼ देना पर्याप्त समझा जायेगा।

4. जो आर्य समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करेगा उसे अन्तरंग सभा आर्य समाज से स्थगित और साधारण सभा पृथक् कर सकती है।

5. आर्य सभासद् दो प्रकार के होंगे। एक साधारण आर्य सभासद् और दूसरे माननीय आर्य सभासद्। माननीय आर्य सभासद् वे होंगे जिनको अन्तरंग सभा विशेष सदाचार या विशेष विद्यादि श्रेष्ठ गुणों या विशेष दान से माननीय सभासद् नियुक्त करे।

6. सभाएँ

आर्य समाज में होने वाली सभाएँ दो प्रकार की होंगी– धार्मिक और प्रबन्धक। धार्मिक सभाएँ चार प्रकार की होंगी–

1. दैनिक। 2. साप्ताहिक । 3. वार्षिक। 4. नैमित्तिक।

प्रबन्धक सभाएँ दो प्रकार की होंगी – 1. वार्षिक । 2. नैमित्तिक।

7. धार्मिक सभाएँ

(1) दैनिक सभाएँ प्रतिदिन सम्मिलित सन्ध्या, हवन, कथा आदि के लिए होंगी।

(2) साप्ताहिक सभा प्रतिसप्ताह एक बार हुआ करेगी। इसमें हवन, ईश्वरोपासना, प्रार्थना, भजन–कीर्तन, उपदेश और अन्त में ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त का उच्चस्वर से सम्मिलित पाठ हुआ करेगा।

टिप्पणी – जो कोई समाज–सम्बन्धी मुख्य बात सभा के जानने योग्य हो, वह भी इस सभा में सुनाई जायगी।

(3) वार्षिक सभा (वार्षिकोत्सव) विशेष रूप से धर्म प्रचार करने तथा समाज में अधिक उत्साह लाने के लिए वर्ष में एक बार की जायेगी।

(4) नैमित्तिक सभा तब की जायगी जब किसी विशेष निमित्त के प्राप्त होने पर प्रधान तथा मंत्री उचित समझें।

8. प्रबन्धक सभाएँ

वार्षिक – यह सभा प्रतिवर्ष निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हुआ करेगी –

1. अधिकारियों, अन्तरंग सभा के प्रतिष्ठित सभासदों, न्यायोपसभा के सदस्यों तथा आय–व्यय लेखा–निरीक्षक के निर्वाचन के लिए।

(2) समाज का पिछले वर्ष का विवरण सुनाने तथा आय–व्ययक (बजट) बनाने के लिए।

(3) अन्तरंग सभा के निश्चयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए।

(4) उन विषयों का निर्णय करने के लिए जिन्हें अन्तरंग सभा ने निर्णय के लिए भेजा हो।

(5) इस सभा के अधिवेशन के समय की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायगी। सूचना में विचारणीय विषयों का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(6) चुनाव लिखित मतों (पर्चियों) द्वारा होगा।

(7) आठवें उपनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सभा के होने के 14 दिन के अन्दर अन्तरंग सभा के सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार को भेजी जायगी।

9. नैमित्तिक साधारण सभा

यह सभा आवश्यकतानुसार किसी विशेष काम के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में की जायगी –

(क) जब प्रधान चाहे और मंत्री को आज्ञा दे।

(ख) जब अन्तरंग सभा चाहे।

(ग) जब आर्य सभासदों का दसवाँ भाग अथवा तीन आर्य सभासद (जो भी संख्या अधिक हो) चाहें और इसके लिए मंत्री को पत्र लिख कर भेजें। ऐसी दशा में 15 दिन के भीतर अधिवेशन बुलाना। प्रधान और मंत्री का कर्त्तव्य होगा।

10. अन्तरंग सभा

समाज के सब कार्यों के प्रबन्ध के लिए अन्तरंग सभा निर्वाचित की जायगी जिसमें तीन प्रकार के सभासद होंगे –

(क) अधिकारी। (ख) प्रतिष्ठित। (ग) प्रतिनिधि ।

(11) प्रतिनिधि सभासद् अपने–अपने समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और उन्हें उनके समुदाय प्रतिवर्ष निर्वाचित करेंगे। कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है।

टिप्पणी – सभासद् स्वयं अपने समुदायों को बनायेंगे या अन्तरंग सभा जिस प्रकार उचित समझेगी देगी, परन्तु कोई समुदाय 10 से कम आर्य सभासदों का न बन सकेगा।

(12) इन प्रतिनिधि सभासदों के मुख्य कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे –

(क) अपने–अपने समुदायों के विचारों से परिचित रहना।

(ख) अपने–अपने समुदायों को अन्तरंग सभा के उन कार्यों की सूचना देना जो प्रकट करने के योग्य हों।

(ग) अपने–अपने समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना।

(13) अन्तरंग सभा के लिए प्रतिष्ठित सभासद् आर्य सभासदों में से वार्षिक साधारण सभा में विशेष गुणों के कारण चुने जायेंगे। ऐसे प्रतिष्ठित सभासद् अन्तरंग सभा में एक तिहाई से अधिक न होंगे।

(14) अन्तरंग सभा के प्रतिष्ठित सभासद् अधिकारी और लेखा–निरीक्षक प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा में निर्वाचित किये जायेगे। कोई प्रतिष्ठित सभासद् या अधिकारी फिर चुना जा सकता है परन्तु कोई अधिकारी सर्वसम्मति के बिना तीन वर्ष से अधिक एक ही पद के लिये न चुना जायेगा।

(15) यदि वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी प्रतिष्ठित सभासद् या अधिकारी का स्थान रिक्त हो जाय तो अन्तरंग–सभा स्वयं उसके स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

(16) अन्तरंग सभा समाज के कार्यों के लिए कोई भी उचित व्यवस्था या योजना बना सकती हैं परन्तु वह आर्य समाज के नियमों और उपनियमों के विरुद्ध न हो।

(17) अन्तरंग सभा किसी विशेष कार्य के लिए अपने में से कुछ सभासदों, अन्य आर्य सभासदों वा विशेष गुणी आर्यों को मिलाकर उपसभा नियुक्त कर सकती हैं।

(18) अन्तरंग सभा का कोई सभासद् मंत्री को एक सप्ताह पहले सूचना दे सकता है कि कोई विशेष विषय सभा में विचारार्थ रखा जाय और वह विषय प्रधान की अनुमति से प्रस्तुत किया जायगा। परन्तु यदि अन्तरंग सभा के पाँच वा एक–तिहाई सदस्य (जो भी संख्या कम हो) किसी विषय पर अन्तरंग सभा में विचार कराना चाहें तो वह अवश्य प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(19) अन्तरंग सभा प्रतिमास एक बार अवश्य हुआ करेगी। वह प्रधान की आज्ञा से अथवा जब अन्तरंग सभा के पाँच या एक तिहाई सदस्य (जो भी संख्या कम हो) मंत्री को पत्र लिखें तब भी हो सकती है।

अधिकारी

(20) अधिकारी छः प्रकार के होंगे –

(क) प्रधान, (ख) उपप्रधान, (ग) मंत्री, (घ) उपमंत्री,

(ड) कोषाध्यक्ष, (च) पुस्तकाध्यक्ष ।

(21) आवश्यकता होने पर उपप्रधान, उपमन्त्री, कोषाध्यक्ष और पुस्तकाध्यक्ष के पद पर एक से अधिक व्यक्ति भी निर्वाचित हो सकते है। जब किसी पद पर इस प्रकार एक से अधिक व्यक्ति निर्वाचित किये जाएँ तब अन्तरंग सभा उनमें काम बाँट देगी।

(क) यदि उप प्रधान एक से अधिक होगें तो निर्वाचन के समय में ही कार्यकारी प्रधान एवं ज्येष्ठ उप प्रधान चुन लिये जायेगें।

(ख) प्रधान जी की अनुपस्थिती में कार्यकारीणी का कार्यभार कार्यकारी प्रधान संभालेगें ।

प्रधान

(22) प्रधान के अधिकार और कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे–

(क) प्रधान, अन्तरंग सभा, समाज तथा अन्य सब समितियों के अधिवेशनों में सभापति होगा।

(ख) वह समाज के सब कार्यों के उचित प्रबन्ध में संलग्न रहेगा तथा निरीक्षण करेगा कि वे नियमानुसार किये जोते हैं वा नहीं। वह स्यवं भी नियमानुसार चलेगा।

(ग) यदि कोई विषय आवश्यक और तात्कालिक प्रतीत हो तो वह उसका तत्काल उचित प्रबन्ध करेगा और उसके बिगड़ने पर उत्तरदाता वही होगा।

(घ) प्रधान, अपने प्रधानत्व के कारण उन सब उपसमितियों का सदस्य होगा, जिन्हें अन्तरंग सभा नियुक्त करेगी।

(ड) अपने साधरण मत के अतिरिक्त प्रधान का एक निर्णायक मत (कास्टिग वोट) भी होगा।

(23) प्रधान के उपस्थित न होने पर उपप्रधान उसका प्रतिनिधि होगा और समाज के सब कार्यों में प्रधान को सहायता देना उसका मुख्य कर्त्तव्य होगा। एक से अधिक उपप्रधान कों तो चुनाव के समय उनमें से एक ज्येष्ठ उपप्रधान चुन लिया जायेगा।

(24) आर्य महिला आश्रम आर्य समाज राजेन्द्र नगर का अभिन्न अंग है। आर्य महिला आश्रम की कार्यकारिणी नियुक्त करने का अधिकार केवल आर्य समाज के प्रधान का ही रहेगा।

मन्त्री

(24) मन्त्री के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे –

(क) अन्तरंग सभा तथा प्रधान की आज्ञानुसार समाज के सब कार्य चलाना, समाज की ओर से पत्र–व्यवहार करना तथा समाज–समबन्धी सब आवश्यक कागज–पत्रों को सावधानता से सुरक्षित रखना ।

(ख) समाज की सब सभाओं की कार्यवाही लिखना और दूसरी सभा

होने से पूर्व ही उसे रजिस्टर में लिखना वा लिखवा देना।

(ग) मासिक अन्तरंग सभाओं में उन आर्यों वा आर्य सभासदों के नाम सुनाना जो पिछली मासिक सभा के पश्चात् आर्य समाज में प्रविष्ट या उससे पृथक् हुए हों।

(घ) आर्य समाज के सेवकों पर सामान्य रीति से दृष्टि रखना और समाज के नियम, उपनियम और आदेशों के पालन पर ध्यान रखना।

(ड) यदि आर्य समाज की कोई संस्थाएँ हों तो उनके प्रबन्ध पर सामान्य रूप से दृष्टि रखना।

(च) इस विषय का ध्यान रखना कि प्रत्येक आर्य सभासद् किसी समुदाय में अवश्य हो और वह कि प्रत्येक समुदाय ने अपनी ओर से अन्तरंग सभा में प्रतिनिधि भेजा हो।

(छ) प्रत्येक सभा में नियत समय पर उपस्थित होना और उसकी समाप्ति तक ठहरना।

उपमन्त्री

(25) मन्त्री के उपस्थित न होने पर उसका प्रतिनिधि होना और समाज के सब कामों में मंत्री को सहायता देना उसका मुख्य कर्तव्य होगा।

कोषाध्यक्ष

(26) कोषाध्यक्ष के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे–

(क) समाज की सब आय को लेना, उसकी रसीद देना, उसको यथोचित सुरक्षित रखना वा रखवाना और कुछ भी धन बिना रसीद लिए और बिना लिखित आज्ञा प्राप्त किए किसी को न देना।

(ख) किसी को अंतरंग सभा की आज्ञा बिना रूपया न देना, बल्कि प्रधान और मंत्री को भी उस परिमाण से, जितना कि अन्तरंग सभा ने उनके लिए नियत किया हो, अधिक न देना। उस धन के उचित व्यय के लिए वही अधिकारी उत्तरदायी होगा जिसके द्वारा वह व्यय हुआ हो।

(ग) सब धन के आय–व्यय का उचित रीति से बही–खाता रखना और प्रति–मास जांच कराके उसे बही–खाते समेत अन्तरंग सभा में

स्वीकृति के लिए रखना।

27. पुस्तकाध्यक्ष

पुस्तकाध्यक्ष के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे –

पुस्तकालय में समाज की स्थित तथा बिक्री–योग्य पुस्तकों की रक्षा करना, पुस्तकालय–सम्बन्धी हिसाब–किताब रखना, पुस्तकों को लेना–देना तथा मंगवाना और बेचना, पुस्तकालय सम्बन्धी अमानत की रक्षा।

टिप्पणी – स्थिर तथा बिक्री योग्य पुस्तकें अन्तरंग सभा का स्वीकृति से मंगवाई जायेंगी।

(28) मिश्रित

निम्नलिखित परिस्थितियों में सब आर्य सभासदों की सम्मति पत्र द्वारा की जायगी।

(क) जब अन्तरंग सभा का यह निश्चय हो कि समाज के हित के लिए सब आर्य सभासदों की सम्मति जाननी 1/5 चाहिए।

(ख) जब सब आर्य सभासदों का भाग वा तीन (जो संख्या अधिक हो) सभासद् इस बात के लिए मंत्री को पत्र लिखें।

(ग) जब बहुत–से व्यय, प्रबन्ध वा व्यवस्था से सम्बन्धित कोई आवश्यक प्रस्ताव हो।

(29) जब कोई अधिकारी समाज से थोड़े समय के लिए अनुपस्थित हो तो अंतरंग सभा उसके स्थान पर उस समय के लिए किसी योग्य पुरुष को नियुक्त कर सकती है।

(30) यदि किसी अधिकारी के पद पर वार्षिक साधारण सभा में कोई व्यक्ति नियत न किया गया हो, तो जब तक उस पद पर कोई और व्यक्ति नियत न किया जाय, वही अधिकारी, यदि वह उस वर्ष के लिए आर्य सभासद् चुना गया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक अपना काम करता रहेगा।

(31) सब सभाओं और उपसभाओं की कार्यवाही आर्य भाषा (हिन्दी भाषा) और देवनागरी लिपि में लिखी जायगी। यदि कोई आर्य सभासद् उसे

देखना चाहे तो मन्त्री, प्रधान की अनुमति से, उसे दिखा देगा।

(32) सब सभाओं का कार्य तब आरम्भ होगा जब एक तिहाई सभासद् उपस्थित हों।

(33) सब सभाओं और उपसमितियों में सब विषयों का निश्चय बहुमत के अनुसार होगा।

(34) आय का दशांश स्थिर निधि में रखा जायगा।

(35) सब आर्यों तथा आर्य सभासदों को संस्कृत अथवा आर्य भाषा (हिन्दी भाषा) का ज्ञान होना चाहिए।

(36) साप्ताहिक सत्संगों में सम्मिलित होना सब आर्यों और आर्य सभासदों का मुख्य कर्त्तव्य होगा।

(37) सब आर्यों और आर्य सभासदों को उचित है कि आनन्द और लाभ के समय समाज का ध्यान रखें और उसकी धन आदि से सहायता किया करें।

(38) सब आर्यों तथा सभासदों को उचित है कि शोक और दुख के समय परस्पर सहायता करें और आनन्दोत्सवों में निमन्त्रण मिलने पर छोटाई–बड़ाई का ध्यान किये बिना, सम्मिलित हों।

(39) यदि कोई आर्य भाई कारण–वश किसी संकट में हो अथवा उसकी पत्नी विधवा वा सन्तान अनाथ हो जाय और उनके निर्वाह का कोई साधन न हो और आर्य समाज को इन तथ्यों (फैक्ट्स) के बारे में निश्चय हो तो आर्यसमाज उनकी रक्षा के लिए यथाशक्ति उचित प्रबन्ध करे।

(40) (क) आर्य समाज की वार्षिक साधारण सभा आर्यों तथा आर्य सभासदों के आपसी तथा समाज–सम्बन्धी झगड़ों का निबटारा करने के लिए एक न्यायोपसभा नियत करेगी।

(ख) यदि आर्य समाज के आर्यों या आर्यसभासदों में कोई निजी आपसी विवाद हो तो उन्हें उचित है कि आपसी समझोते से उस का निबटारा कर लें। यदि ऐसा समझोता संभव न हो तो उसका निर्णय आर्य समाज की न्यायोपसभा से करा लिया करें।

(ग) यदि समाज में कोई झगड़ा समाज की सम्पत्ति या अधिकार

आदि के सम्बन्ध में हो तो उसका निर्णय न्यायोपसभा ही करेगी।

(41) निम्नलिखित कारणों से अधिकारियों तथा अन्तरंग सभा सदों के पद रिक्त समझे जायगें :–(1) मृत्यु (2) पागलपन (3) त्यागपत्र (4) नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर (5) संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर (6) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ऐसा अपराध करने पर जिसका निर्णय न्यायोपसभा द्वारा हो चुका हो और अन्तरंग सभा की सम्मति में उस सभासद को सभासद् रहने के अयोग्य सिद्ध करता हो।

(42) प्रधान, विशेष परिस्थितियों में, अन्तरंग सभा की अनुमति लेकर, किसी भी अधिकारी को स्थगित कर सकता है, परन्तु अन्तिम निर्णय के लिए 15 दिन के अन्दर नैमित्तिक साधारण सभा बुलानी होगी।

(43) प्रधान अपने पद से पृथक् नहीं किया जा सकता। यदि साधारण सभा उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।

(44) स्वाधीन (आटोनोमस) समाज

आर्य समाज, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली, एक स्वाधीन समाज होगी और वह (1) सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, या (2) आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, जालंधर, या (3) आर्यप्रतिनिधि सभा, जालंधर, या (4) किसी अन्य आर्य प्रतिनिधि सभा का घटक अंग (कानस्टिचूएंट पार्ट) न होगी। तो भी वह आर्य समाज अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपर्युक्त प्रतिनिधि सभाओं को सहयोग देगी।

(45) सम्पत्ति का प्रबन्ध

इस समाज की चल तथा अचल सम्पत्ति पर अन्तरंग सभा का अधिकार होगा और वही इसका प्रबन्ध भी करेगी।

(46) संहार (डिस्सोल्यूशन)

इस समाज का संहार होने की दशा में लेन–देन का भुगतान कर चुकने के बाद, यदि कोई सम्पत्ति शेष रहेगी तो वह सदस्यों में बांटी नहीं

जायगी बल्कि उसके आधे–आधे भाग पर आर्य प्रादेशिक सभा जालंधर तथा आर्यप्रतिनिधि सभा जालंधर का अधिकार होगा।

(47) उपनियमों में परिवर्तन

इस आर्यसमाज की अन्तरंग सभा को जब प्रतीत हो कि इसके उपनियमों में कुछ वृद्धि, परिवर्तन, संशोधन या संक्षेप करना उचित है तब वह प्रस्ताव इस समाज के सदस्यों तक पहुँचाया जायेगा तथा आर्य समाज के उपनियमों के अनुसार एक बिशेष सभा बुलाई जायगी। परन्तु किसी ऐसे प्रस्ताव पर तब तक आचरण न होगा जब तक इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई विशेष सभा की सूचना प्रत्येक सदस्य को 10 दिन पूर्व व्यक्गित रूप से या डाक द्वारा न दी गई हो, जब तक कुल सदस्यों का ¾ भाग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उस प्रस्ताव से सहमत न होगा और जब तक अन्तरंग सभा द्वारा पहली सभा के एक मास बाद बुलाई गई एक दूसरी विशेष सभा में उपस्थित सदस्यों का ¾ भाग उस प्रस्ताव का समर्थन न करेगा।

(48) सामान्य धारा (जनरल क्लाज)

यदि इन नियमों में से किसी विषय के संम्बन्ध में कोई उपबन्ध (प्रोवियन) न होगा तो आर्यसमाज राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली पर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के उपबन्ध लागू होंगे।

उपनियमों की सच्ची नकल ऊपर दी गई है और हम उसको प्रमाणित करते हैं।

नोट : मूलप्रति आर्य समाज राजेन्द्र नगर की वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा हस्ताक्षरित की गई है।

प्रधान मन्त्री कोषाध्यक्ष

आर्यसमाज के नियम

1. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है।
2. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है उसी की उपासना करनी योग्य है।
3. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना–पढ़ाना और सुनना–सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
4. सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
5. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए।
6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
7. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिए।
8. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
9. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।